

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत मिहीपुरवा, जनपद-बहराइच।
- 2- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत धानेपुर, जनपद-गोण्डा।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2024

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सेक्टर के 'पेयजल हेतु व्यवस्था' योजना के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

**महोदय,**

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'पेयजल हेतु व्यवस्था' योजना के अन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यों के अनुसार प्रदेश की निम्नलिखित 2 नगरीय निकायों में पेयजलापूर्ति के कार्य हेतु कुल रूपये 399.41 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि **रूपये 54.83 लाख (रूपये चौवन लाख तिरासी हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०स०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	(धनराशि रूपये लाख में) प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	बहराइच	नगर पंचायत मिहीपुरवा	199.87	27.43
2	गोण्डा	नगर पंचायत धानेपुर	199.54	27.40
योग			<b>399.41</b>	<b>54.83</b>

**नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों**

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकायों द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी /सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड -6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
- (6) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (8) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।
- (10) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (11) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 54,83,000 ( रुपये चौवन लाख तिरासी हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215011010600 पेयजल हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,  
16.03.2024  
( कल्याण बनर्जी ),  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

**संख्या- 385(1) /2024/ नौ-5-2024 /001-Com.No.-1801004, तद् दिनांक।**


**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
- 3- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- संबंधित कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, उत्तर प्रदेश।
- 5- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 8- निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 9- सूपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,  
16.03.2024  
( कल्याण बनर्जी ),  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन

क्र०सं०	निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	नगर पंचायत, मिहींपुरवा जनपद-बहराइच	1. नगर पंचायत, मिहींपुरवा में वार्ड नं०-05 में धनंजय मदेशिया के बगल में जलापूर्ति के लिए समरसेबुल अधिष्ठापन का कार्य।	10.25	
		2. नगर पंचायत, मिहींपुरवा में वार्ड नं०-09 में बड़ी बाजार शिवराम शाह मन्दिर पर जलापूर्ति के लिए समरसेबुल अधिष्ठापन का कार्य।	10.27	
		3. नगर पंचायत, मिहींपुरवा में वार्ड नं०-10 में पानमती के घर के पास बगल में जलापूर्ति के लिए समरसेबुल अधिष्ठापन का कार्य।	10.31	
		4. नगर पंचायत, मिहींपुरवा में वार्ड नं०-11 में रामजानकी परिसर के अन्दर जलापूर्ति के लिए समरसेबुल अधिष्ठापन का कार्य।	10.40	
		5. नगर पंचायत, मिहींपुरवा में वार्ड नं०-12 में टेपरा शिव मन्दिर के बगल में जलापूर्ति के लिए समरसेबुल अधिष्ठापन का कार्य।	10.18	
		6. नगर पंचायत, मिहींपुरवा में वार्ड नं०-12 में टेपरा नीरज कुमार त्रिपाठी गुरुद्वारा मन्दिर धनंजय मदेशिया के बगल में जलापूर्ति के लिए समरसेबुल अधिष्ठापन का कार्य।	10.23	
		7. नगर पंचायत, मिहींपुरवा में वार्ड नं०-15 में राजेश चौरसिया सभासद के घर के बगल में जलापूर्ति के लिए समरसेबुल अधिष्ठापन का कार्य।	10.36	
		8. नगर पंचायत, मिहींपुरवा में वार्ड नं०-14 में हर्षित सभासद के घर के बगल जलापूर्ति के लिए समरसेबुल अधिष्ठापन का कार्य।	10.45	
		9. नगर पंचायत, मिहींपुरवा में वार्ड नं०-05 मो० जरही में जलापूर्ति के लिए पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	10.58	
		10. नगर पंचायत, मिहींपुरवा में वार्ड नं०-09 मो०-मिहींपुरवा में जलापूर्ति के लिए समरसेबुल अधिष्ठापन का कार्य।	10.65	
		11. नगर पंचायत, मिहींपुरवा में वार्ड नं०-10 मो०-दरोगापुरवा में जलापूर्ति के लिए पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	10.78	
		12. नगर पंचायत, मिहींपुरवा में वार्ड नं०-12 मो०-बोटनपुरवा में जलापूर्ति के लिए पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	10.75	
		13. नगर पंचायत, मिहींपुरवा में वार्ड नं०-13 मो०-नयापुरवा पूर्वी में जलापूर्ति के लिए पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	10.58	

		14. नगर पंचायत, मिहींपुरवा में वार्ड नं0-14 मो0-परवानी गौड़ी में जलापूर्ति के लिए पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	10.61	
		15. नगर पंचायत, मिहींपुरवा में वार्ड नं0-15 मो0-तमेलिनपुरवा पूर्वी में जलापूर्ति के लिए पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	10.65	
		16. नगर पंचायत, मिहींपुरवा में वार्ड नं0-01 मो0-मोतीपुर पश्चिमी में जलापूर्ति के लिए पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	10.68	
		17. नगर पंचायत, मिहींपुरवा में वार्ड नं0-02 मो0-मोतीपुर उत्तरी में जलापूर्ति के लिए पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	10.71	
		18. नगर पंचायत, मिहींपुरवा में वार्ड नं0-02 मो0-मोतीपुर मध्य में जलापूर्ति के लिए पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	10.78	
		19. नगर पंचायत, मिहींपुरवा में वार्ड नं0-02 मो0-मोतीपुर पूर्वी में जलापूर्ति के लिए पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	10.65	
		<b>योग</b>	<b>199.87</b>	<b>27.43</b>
2	नगर पंचायत, धानेपुर जनपद-गोण्डा	1. वार्ड नं0-01 में पेयजल व्यवस्था पाइप लाइन बिछाने का कार्य।	39.66	
		2. वार्ड नं0-03 में पेयजल व्यवस्था पाइप लाइन बिछाने का कार्य।	39.83	
		3. वार्ड नं0-14 में पेयजल व्यवस्था पाइप लाइन बिछाने का कार्य।	39.43	
		4. वार्ड नं0-04 में पेयजल व्यवस्था पाइप लाइन बिछाने का कार्य।	19.83	
		5. वार्ड नं0-08 में पेयजल व्यवस्था पाइप लाइन बिछाने का कार्य।	20.08	
		6. वार्ड नं0-06 में पेयजल व्यवस्था पाइप लाइन बिछाने का कार्य।	20.11	
		7. वार्ड नं0-11 में पेयजल व्यवस्था पाइप लाइन बिछाने का कार्य।	20.60	
		<b>योग</b>	<b>199.54</b>	<b>27.40</b>
		<b>कुल योग</b>	<b>399.41</b>	<b>54.83</b>

  
16-05-2024  
( कल्याण बनर्जी ),  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

## Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2023-2024  
आवंटन दिनांक-16/03/2024

प्रेषण संख्या:- 385  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-385-2024-9-5-2024-001-CN-1801004  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
01 - जलपूर्ति  
101 - शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम  
06 - पेयजल हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	गोण्डा-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2740000 12740000	2740000 12740000
2	बहराइच-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2743000 15543000	2743000 15543000
	योग	वर्तमान प्रगामी	5483000 28283000	5483000 28283000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौवन लाख तिरासी हजार  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ बयासी लाख तिरासी हजार

  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव